



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00029
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00532
अपीलकर्ता श्री मुकेश भण्डारी एडवोकेट

विस,

8)

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.11.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.12.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.12.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस.चिकारा CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.01.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	16.01.2025
निर्णय की तारीख	07.02.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.11.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

"प्रार्थी ने कार्यालय पोस्टमॉस्टर जनरल राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर के RTI WR/65/2024/A Date 25.07.2024 के निर्णय के आपके कार्यालय में दिनांक 02.08.2024 को RTI आवेदन अपील की थी आपके कार्यालय द्वारा प्रार्थी को अपील का जवाब क्यों नहीं दिया गया है कारण सहित प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।"

2. प्रदान की गई सूचना

कर्नल एस.एस.चिकाराकेन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 12.12.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -

"The information as asked is not clear, hence cannot be commented upon.
Please revisit and ask specific Query Please."

3. प्रथम अपील का आधार

"अपीलकर्ता को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 12.12.2024 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि आर.टी.आई. स्पष्ट नहीं है। अतः अपील कर रहा हूँ।"

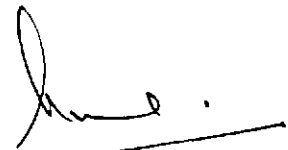
4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00532 के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00532 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 07.02.2025



रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि: 1/11/25

- 1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
- 2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

पु.स. 03/02/25

O/C

